

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन

दूरभाष क्रमांक कार्या. 07482- 223251

ई-मेल eeresraisen@mp.gov.in

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक 819/व.ले.लि./2026

रायसेन,दिनांक 29/04/2026

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 01/2026-27/ रायसेन

निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाईन प्रतिशत दर पर निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट: <https://www.mptenders.gov.in/> पर देखा जा सकता है:-

क्र.	सिस्टम टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	निविदा लागत (पी.ए.सी.) (रू.लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि (रूपये में)	अवधि वर्षाकाल सहित (दिवस)	आमंत्रण क्रम
1	2026_RES_504037_1	अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक आश्रम कमरोरा 50 मीटर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	4.74	0.095	2000/-	90	द्वितीय
2	2026_RES_504040_1	अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास औबेदुल्लागंज 30 मीटर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2.84	0.06	2000/-	90	द्वितीय
3	2026_RES_504041_1	कम्प्यूटर रूम हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य पीएमश्री Govt. High School Barkheda Setu, वि.खं. औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन	12.31	0.25	2000/-	120	द्वितीय

उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्यूमेंट), वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in/> पर ऑनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। निविदा प्रपत्र क्रय एवं प्रस्तुत करने की दिनांक **07/05/2026** समय **10:30** बजे से दिनांक **23/05/2026** समय **05:00** बजे तक निर्धारित है। विस्तृत निविदा सूचना व अन्य जानकारी वेब साईट पर देखी जा सकती है। निविदा में संशोधन सूचनाएँ केवल वेबसाईट पर दी जावेगी, पृथक से कोई सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग रायसेन म0प्र0

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक- 01/2026-27/ रायसेन

क्रमांक 819 /व.ले.लि. /2026

रायसेन, दिनांक 29/04/2026

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन प्रतिशत दर निविदायें, निविदा प्रपत्र 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग के केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से 02 लिफाफा पद्धति में निम्न तालिका में अंकित निर्माण कार्य हेतु कार्लेम 9 में प्रदर्शित दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सिस्टम टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	निविदा लागत (पी.ए.सी.) (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि (रूपये में)	अवधि वर्षाकाल सहित (दिवस)	आमंत्रण क्रम	दर अनुसूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2026_RES_504037_1	अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक आश्रम कमरोरा 50 मीटर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	4.74	0.095	2000/-	90	द्वितीय	ग्रा.या.से. की दि.
2	2026_RES_504040_1	अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास औबेदुल्लागंज 30 मीटर बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2.84	0.06	2000/-	90	द्वितीय	11/04/2022 से प्रभावशील एवं निविदा प्रकाशन दिनांक तक अद्यतन संशोधित से लागू दर अनुसूची
3	2026_RES_504041_1	कम्प्यूटर रूम हेतु अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य पीएमश्री Govt. High School Barkheda Setu, वि.खं. औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन	12.31	0.25	2000/-	120	द्वितीय	

नोट :-

- उक्त कार्यों के निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) क्रय किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक **23/05 /2026** समय **05:00** बजे तक निर्धारित है।
- कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्तें आदि वेबसाईट: <https://mptenders.gov.in> पर अथवा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
- निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करें, शीघ्रतिशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाईट में किसी प्रकार की असुविधा के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी संविदाकार के चाहने पर निविदा जमा करने की तिथि में वृद्धि की जावेगी।
- वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑफ लाईन (हार्ड कापी में) मान्य नहीं होगा, यदि वित्तीय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे में या किसी भी प्रकार से ऑफ लाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।

ऑन लाईन निविदा की सामान्य शर्तें:-

- निविदायें दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित है। संबंधित संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि कार्य स्थल का निरीक्षण, निविदा क्रय के पूर्व कर लेवे।
- 1.1 प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज, लिफाफा-ए में स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है:-

Envelope A:

- निविदा की तालिका के कार्लेम 05 के अनुसार अमानत राशि कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन के पक्ष में Online भुगतान किया जाना होगा। (EMD Amount should pay only E-payment through Online Portal) बैंक एवं पोर्टल द्वारा जारी ई.एम.डी. भुगतान की रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। बैंक एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी। ई.एम.डी. की राशि में एमएसएमई (Micro Small & Medium Enterprises) में पंजीकृत ठेकेदारों को किसी तरह की छूट नहीं दी जावेगी।
- एनेक्जर-B के अंतर्गत नोटराईज्ड शपथ-पत्र 200 रूपये के स्टाम्प पर कार्य का नाम, सिस्टम टेण्डर नम्बर, टेण्डर जारी होने का दिनांक एवं कार्यपालन यंत्री ग्रा.यां.से. के पक्ष में बनाकर आन लाईन अपलोड किया जाना है।
- पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, पेन कार्ड, जीएसटी एवं पंजीयन हेतु अर्हता का प्रमाण आर्गनाइजेशनल डिटेल एनेक्जर-H में आन लाईन अपलोड किया जाना है।
- ऑनलाईन बिड के लिफाफा - C में फायनेन्सियल बिड अपलोड की जावे।

2. Key Dates:

TENDER SCHEDULE

Sr.No.	Tender Schedule	Start Date & Time		Expiry (End) Date & Time	
1.	NIT Sending for Publication	30-04-2026	10:00 AM	-	-
2.	Online Published (Release Date)	06-05-2026	05:30 PM	-	-
3.	Document Download Sale and Bid Submission Start Date & End Date	07-05-2026	10:30 AM	23-05-2026	05.00 PM
4.	Bid Opening Date Technical	25-05-2026	10:00 AM	-	-

3. निविदा में संशोधन होने पर सूचना बेबसाईट पर अपलोड की जावेगी, पृथक से कोई सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।
4. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज सुपाठ्य एवं स्वप्रमाणित होना चाहिये। सशर्त /ओवर राईटिंग लिखाई के दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।
5. ठेकेदार प्राप्त निविदा के साथ अमानत राशि प्रस्तुत की जावे। पूर्व निविदाओं की अमानत राशि समायोजित नहीं की जावेगी।
5. निविदा स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
6. कार्य में किसी भी प्रकार का विलंब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
7. निविदाकार को भवन कार्य हेतु खनिज गौण संपदा उपयोग हेतु खदानों का निर्धारण स्वयं कराना होगा। अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण संपदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का प्रस्तुत करना होगा।
8. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची एवं आवृत्ति अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत किया जा जावे।
9. निविदाकार/फर्म के पास सड़क कार्य को समयावधि में पूर्ण करने की आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक मशीनरी यथा वाइब्रो-रोलर, ग्रेडर, टैंकर इत्यादि होना अनिवार्य होगा।
10. निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।
11. निविदा से संबंधित किसी भी वाद-विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
12. श्रम संविदा एक्ट के अंतर्गत जीवित लेबर लायसेन्स कार्यादेश के उपरांत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
14. विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण / वनक्षेत्र आदि में लागू नियमों के पालन का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
15. ठेकेदार को निर्माण से संबंधित संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) आर.सी.सी. डिजाईन का अनुमोदन कार्य सम्पादन के पूर्व संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रस्तुत कर सक्षम अनुमोदन प्राप्त कराना होगा।
16. निविदा या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से ज्यादा निविदा प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिये निविदाकार के द्वारा पृथक से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।
17. यदि कोई ठेकेदार एक से अधिक फर्मों में पार्टनर अथवा प्रोप्राईटर हो तो ऐसी फर्मों द्वारा एक ही कार्य के लिये अलग-अलग निविदा प्रस्तुत नहीं की जावें। अन्यथा फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदायें निरस्त कर दी जावेगी।
18. निर्माण कार्य हेतु परफार्मेंस गारंटी के लिये अनुबंधित राशि की 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के पूर्व बैंक **एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन** के नाम प्रस्तुत करना होगी। कार्य पूर्णता उपरांत दो वर्ष तक डिफेक्ट लायबिलिटी का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, कार्य प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार की रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य एजेसी / विभाग द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बाबत प्रभारी अभियंता का प्रमाणपत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू-राजस्व / नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।

19. ऐसी निविदाएं जिनमें निविदा दर एसओआर से 10 प्रतिशत कम से कम आती है, सफल निविदाकार से अनुबंध के पूर्व एसओआर से 10 प्रतिशत कम से अधिक कमी के निविदा प्रतिशत के अंतर की अतिरिक्त परफार्मेन्स गारंटी की राशि ली जावेगी। (प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल का आदेश क्र. 7409/22 / वि-10 /ग्रा.यां.से. / 2024 दि.05/11/2024)
20. निविदा प्रपत्र के एपेंडिक्स 2.10 के Section 3 Condition of contract part-II Special Conditions of Contract (SCC) में राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निम्न शर्त जोड़ी जाती है। "Bidders are required to offer their bids exclusive of applicable GST. The GST shall be paid by the Government to the Contractor separately." (ठेकेदार की बिड GST को शासन के द्वारा अलग से दिया जावेगा।
21. निविदा प्रपत्र के एपेंडिक्स 2.10 के Section 3 Condition of contract part-II Special Conditions of Contract (SCC) में राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत निम्न शर्त जोड़ी जाती है। **Prequalification Conditions (i) Section-2, Annexure-C, Pre Qualification, A Financial : “ 3 financial years** के स्थान पर **“5years financial years** किया जाता है। (प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल का आदेश क्र. 7409/22 / वि-10 /ग्रा.यां.से. / 2024 दि.05/11/2024)
22. शासन निर्देशानुसार वर्क कान्ट्रैक्टर के दस्तावेजों पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क न्यूनतम राशि रू. 500(संविदा मूल्य राशि रू. 50.00 लाख तक) तथा 5.00 लाख की अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए संविदा मूल्य का 0.10 प्रतिशत (यदि संविदा मूल्य राशि रू. 50.00 लाख से अधिक हो) स्टाम्प शुल्क भुगतान कर अनुबंध करना होगा।
(प्रमुख अभियंता महोदय ग्रा.यां.से. विन्ध्याचल भवन भोपाल का आदेश क्र. 884/22/वि-10/ग्रायासे/2023 भोपाल दिनांक 10/02/2023)
23. आन लाईन प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ अनुबंध के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग रायसेन म0प्र0

प. क्र. 819 /व.ले.लि. /2026

रायसेन, दिनांक 29/04/2026

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रथम की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
3. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जोन-भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल मण्डल भोपाल
5. कलेक्टर जिला रायसेन।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन।
7. मानचित्रकार / ऑडिटर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायसेन।
8. सूचना पटल संभागीय कार्यालय पर चस्पा हेतु।
9. म.प्र.शासकीय ठेकेदार एसोसियेशन 32 ए सुन्दर नगर पिपलानी, बी.एच.ई.एल.भोपाल।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग रायसेन म0प्र0